न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 23/2026
आदेश

09.06.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त अनिल राम की ओर से दाखिल किया गया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अधीन दर्ज परिवाद वाद संख्या 774/2024 में गिरफ्तार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार पाठक को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

परिवादी का वाद संक्षेप में यह है कि परिवादिनी गीता देवी की शादी वर्ष 2012 में अभियुक्त अनिल राम के साथ हुई थी तथा गौना वर्ष 2013 में हुआ था। शादी के कुछ समय बाद अभियुक्तगण द्वारा दहेज में दो लाख रुपए एवं एक मोटरसाईकिल की मांग की जाने लगी। मांग पूरी होने पर परिवादिनी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा तथा मारीपट कर कई बार उसे उसके मायके भेज दिया जाता था। परिवादिनी का आगे आरोप है कि दिनांक 30.11.2024 को अभियुक्तगण ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर उसके घर से निकाल दिया, उसके चार बच्चों में से तीन बच्चों को अपने पास रख लिया तथा विवाह के समय दिए गए सामान भी अपने कब्जे में ले लिए। परिवादिनी ने यह भी आरोप लगाया है कि अभियुक्त अनिल राम ने दूसरा विवाह कर लिया है तथा उसे इसी आशय की धमकी दी गई थी।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परिवादिनी का वाद झूठा एवं मनगढ़ंत है। जैसा कि परिवादिनी ने कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी थी। आवेदक अभियुक्त को परेशान करने और अपमानित करने के लिए परिवादिनी ने यह झूठा वाद लाया है। आवेदक अभियुक्त परिवादिनी का पति है। आवेदक अभियुक्त ने परिवादिनी से कभी भी दहेज की मांग नहीं किया था और न ही उसे कभी प्रताड़ित किया था। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में उभय पक्षों के बीच एक पंचायत भी हुआ था, जिसमें परिवादी ने आवेदक अभियुक्त के साथ आगे जीवन बिताने से इंकार कर दिया था। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत का विरोध किया है तथा कहा है कि आवेदक अभियुक्त परिवादी का पति है तथा उसके विरुद्ध परिवादिनी से दहेज मांगने तथा दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने का विनिर्दिष्ट अभियोग है। आगे विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि आवेदक अभियुक्त ने अपना दूसरा विवाह कर

लगातार
09.06.2026

लिया है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

परिवादिनी स्वयं न्यायालय में उपस्थित है तथा यह कहती है कि आवेदक अभियुक्त उसका पति है तथा वह उससे दहेज की मांग करता है तथा उसे दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित करता है तथा उसने कुछ समय पहले दूसरी शादी कर ली है। अतः उसने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि यद्यपि आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथापि आवेदक अभियुक्त इस वाद का नामित अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त परिवादी का पति है तथा उसके विरुद्ध परिवादी से दहेज की मांग करने तथा दहेज नहीं मिलने पर परिवादी को प्रताड़ित करने का अभियोग है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अपना दूसरा विवाह कर लेने की बात कही जाती है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों, परिवादिनी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात मैं आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।